महत्वपूर्ण

संख्या– 710(1) /15–3–2022

प्रेषक,

1– आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन।

2– मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश,लखनऊ/प्रयागराज।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, **लखनऊ : दिनांकः27 जून, 2022**

विषयः– वृक्षारोपण जन आन्दोलन–2022 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण एवं वन महोत्सव का आयोजन तथा वनों के महत्व के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता उत्पन्न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–228/81–5–2022 दिनांक 04 जून, 2022 सहित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–881/ 81–5–2019–03/2019 दिनांक 21. 11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2022–23 में प्रदेश के 35.00 करोड़ पौधारोपण लक्ष्य के सापेक्ष माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए 2.80 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित है। वृहद स्तर पर पौधों का रोपण 'वन महोत्सव' दिनांक 01 जुलाई से 07 जुलाई, 2022 तक की समयावधि तथा 15 अगस्त को किया जाना है।

2– प्राकृतिक सन्तुलन को बनाये रखने के लिए एवं मनुष्य के जीवन में वनों के विशेष महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसके संरक्षण का दायित्व समस्त समुदाय का है। इस कार्य में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वन एवं पर्यावरण के महत्व की सम्यक जानकारी छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराकर उन्हे इसके प्रति संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

3– वन एवं पर्यावरण के संरक्षण के प्रति उपुर्यक्त भावना को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगीः–

(क) वृक्षों का चयन एवं वृक्षारोपण :–

1) प्रदेश के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल की बाहरी परिधि में शोभाकार छाया देने वाले वृक्ष प्रजाति यथा–टिकोमा, जकरंडा, गुलाचीन, अमलतास, कचनार, पेल्टोफोरम, केसिया स्यामिया, मौलश्री एवं गुलमोहर का रोपण किया जाय। बाउण्ड्रीवाल के अन्दरूनी परिधि में फलदार वृक्ष प्रजाति यथा– अमरूद, सहजन, नीबू, करौंदा, अनार, शहतूत, बेर, कदम्ब, शरीफा, आंवला, इमली एवं आम के पौधे रोपित किये जाय, जिससे विद्यार्थियों को पोषण प्रदान करने वाले फल प्राप्त हो सकें।
2) जिन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल नहीं है, उन विद्यालयों में Green Live Fencingके रूप में वृक्षारोपण हेतु उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जाय। इस कार्य हेतु मनरेगा के फण्ड का उपयोग किया जा सकता है।
3) ऐसे समस्त माध्यमिक विद्यालयों जहां पर विद्यालय भवन एवं क्रीडा स्थल को छोड़कर अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है, वहां 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अवसर पर दिनांक 15 अगस्त, 2022 को प्रधानाचार्य/शिक्षक/ विद्यार्थियों के सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में **75 पौधो** का रोपण कर **"अमृत वन"** की स्थापना की जाय। पौधरोपण समय यथा–सम्भव मियावाकी (Miyawaki) तकनीक का प्रयोग किया जाय।
4) विद्यार्थियोंको अपने विद्यालय एवं घर में पौधरोपण एवंपौधरोपित वृक्ष को गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाय।वृक्षारोपण अभियान में रोपित पौधों की जीवितता सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि रोपित वृक्षों की सुरक्षा एवं सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाय तथा यथासम्भव वन विभाग के सहयोग से रोपित किये गये समस्त पौधरोपण स्थलों की जियोटैंगिंग की जाय।
5) विद्यालय में रोपित कुल वृक्षों को विद्यालय में गठित सदन में विभाजित कर दिया जाय। आवश्यकता होने पर सदन को उप समूहों में विभाजित किया जाय। सदन/उपसमूह द्वारा रोपित वृक्षों की सुरक्षा, संरक्षा, सिचाई आदि की जाय।

6) विद्यार्थियों को दिशा–निर्देश देने हेतु शिक्षकों को भी सदनवार व सदनों के उपसमूहवार विभाजित करते हुए प्रभारी बनाया जाय। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उसका नियमित अनुश्रवण किया जायेगा।

7) वृक्षारोपण हेतु दिनांक 01 से 04 जुलाई, 2022 तक गड्ढों की खुदाई की जाय तथा दिनांक 5 से 7 जुलाई, 2022 तथा 15 अगस्त को पौध रोपण की कार्यवाही की जाय।

(ख) जागरूकता सम्बन्धी गतिविधियां:–

1) शिक्षकों/विद्यार्थियों द्वारा रोपित वृक्षों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु दिनांक 05 जुलाई, 2022 को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाय।

2) विद्यालयों में प्रार्थना सभा में वृक्षों के महत्व एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को सम्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाय तथा प्रतिदिन एक विद्यार्थी द्वारा वृक्षों के महत्व के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किये जाय।

3) रोपित वृक्षों की प्रगति के सम्बन्ध में सदनवार प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय तथा उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले सम्बन्धित सदन व सदन के उपसमूह को सम्मानित किया जाय।

4) वृक्षारोपण के सम्बन्ध में जागरूकता रैली एवं प्रभात फेरी का आयोजन कराया जाय।

5) वृक्षों के महत्व के सम्बन्ध में भाषण, निबन्ध एवं पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित करायी जाय।

4– पौधों की उपलब्धता वन तथा उद्यान विभाग द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद के समस्त प्रधानाचार्यो से पौधों का प्रजातिवार संख्यात्मक मांगपत्र प्राप्त कर, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जिला वन समिति के सम्मुख समेकित मांग पत्र प्रस्तुत किया जाय।

5– उपरोक्त कार्यो का सतत् अनुश्रवण/समन्वय करने हेतु शासन स्तर पर श्री कृपाशंकर यादव, उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन मो0–9454413887 तथा निदेशालय स्तर पर श्रीमती मंजु शर्मा, अपर शिक्षा निदेशक (व्या0शि0 शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशालय(मा0), उ0प्र0 लखनऊ मो0–9412060649 को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनके द्वारा सूचना संकलित कर पाक्षिक रूप से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार शैक्षणिक संस्थानों में ससमय वृक्षारोपण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन।

भवदीया

29.08.2022

(आराधना शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव,
माध्यमिक शिक्षा विभाग।

संख्या– /15–3–2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
8. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5,उत्तर प्रदेश, शासन।
9. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0 को उक्तानुसार शोभाकार तथा फलदार वृक्ष प्रजाति के पौधों प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शम्भु कुमार)
विशेष सचिव,

महत्वपूर्ण

संख्या– 710(1) /15–3–2022

प्रेषक,

1– आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन।

2– मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश,लखनऊ/प्रयागराज।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ : दिनांक: 29 जून, 2022

विषयः– वृक्षारोपण जन आन्दोलन–2022 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण एवं वन महोत्सव का आयोजन तथा वनों के महत्व के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता उत्पन्न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–228/81–5–2022 दिनांक 04 जून, 2022 सहित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–881/ 81–5–2019–03/2019 दिनांक 21.11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2022–23 में प्रदेश के 35.00 करोड़ पौधारोपण लक्ष्य के सापेक्ष माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए 2.80 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित है। वृहद स्तर पर पौधों का रोपण 'वन महोत्सव' दिनांक 01 जुलाई से 07 जुलाई, 2022 तक की समयावधि तथा 15 अगस्त को किया जाना है।

2– प्राकृतिक सन्तुलन को बनाये रखने के लिए एवं मनुष्य के जीवन में वनों के विशेष महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसके संरक्षण का दायित्व समस्त समुदाय का है। इस कार्य में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वन एवं पर्यावरण के महत्व की सम्यक जानकारी छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराकर उन्हे इसके प्रति संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

3– वन एवं पर्यावरण के संरक्षण के प्रति उपुर्यक्त भावना को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगीः–

(क) वृक्षों का चयन एवं वृक्षारोपण :–

1) प्रदेश के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल की बाहरी परिधि में शोभाकार छाया देने वाले वृक्ष प्रजाति यथा–टिकोमा, जकरंडा, गुलाचीन, अमलतास, कचनार, पेल्टोफोरम, केसिया स्यामिया, मौलश्री एवं गुलमोहर का रोपण किया जाय। बाउण्ड्रीवाल के अन्दरूनी परिधि में फलदार वृक्ष प्रजाति यथा– अमरूद, सहजन, नीबू, करौंदा, अनार, शहतूत, बेर, कदम्ब, शरीफा, आंवला, इमली एवं आम के पौधे रोपित किये जाय, जिससे विद्यार्थियों को पोषण प्रदान करने वाले फल प्राप्त हो सकें।
2) जिन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल नहीं है, उन विद्यालयों में Green Live Fencingके रूप में वृक्षारोपण हेतु उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जाय। इस कार्य हेतु मनरेगा के फण्ड का उपयोग किया ज़ा सकता है।
3) ऐसे समस्त माध्यमिक विद्यालयों जहां पर विद्यालय भवन एवं क्रीडा स्थल को छोड़कर अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है, वहां 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अवसर पर दिनांक 15 अगस्त, 2022 को प्रधानाचार्य/शिक्षक/विद्यार्थियों के सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में **75 पौधो** का रोपण कर **"अमृत वन"** की स्थापना की जाय। पौधरोपण समय यथा–सम्भव मियावाकी (Miyawaki) तकनीक का प्रयोग किया जाय।
4) विद्यार्थियोंको अपने विद्यालय एवं घर में पौधरोपण एवंपौधरोपित वृक्ष को गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाय।वृक्षारोपण अभियान में रोपित पौधों की जीवितता सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि रोपित वृक्षों की सुरक्षा एवं सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाय तथा यथासम्भव वन विभाग के सहयोग से रोपित किये गये समस्त पौधरोपण स्थलों की जियोटैगिंग की जाय।
5) विद्यालय में रोपित कुल वृक्षों को विद्यालय में गठित सदन में विभाजित कर दिया जाय। आवश्यकता होने पर सदन को उप समूहों में विभाजित किया जाय। सदन/उपसमूह द्वारा रोपित वृक्षों की सुरक्षा, संरक्षा, सिचाई आदि की जाय।

6) विद्यार्थियों को दिशा–निर्देश देने हेतु शिक्षकों को भी सदनवार व सदनों के उपसमूहवार विभाजित करते हुए प्रभारी बनाया जाय। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उसका नियमित अनुश्रवण किया जायेगा।

7) वृक्षारोपण हेतु दिनांक 01 से 04 जुलाई, 2022 तक गड्ढों की खुदाई की जाय तथा दिनांक 5 से 7 जुलाई 2022 तथा 15 अगस्त को पौध रोपण की कार्यवाही की जाय।

(ख) जागरूकता सम्बन्धी गतिविधियां:–

1) शिक्षकों/विद्यार्थियों द्वारा रोपित वृक्षों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु दिनांक 05 जुलाई, 2022 को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाय।

2) विद्यालयों में प्रार्थना सभा में वृक्षों के महत्व एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को सम्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाय तथा प्रतिदिन एक विद्यार्थी द्वारा वृक्षों के महत्व के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किये जाय।

3) रोपित वृक्षों की प्रगति के सम्बन्ध में सदनवार प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय तथा उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले सम्बन्धित सदन व सदन के उपसमूह को सम्मानित किया जाय।

4) वृक्षारोपण के सम्बन्ध में जागरूकता रैली एवं प्रभात फेरी का आयोजन कराया जाय।

5) वृक्षों के महत्व के सम्बन्ध में भाषण, निबन्ध एवं पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित करायी जाय।

4– पौधों की उपलब्धता वन तथा उद्यान विभाग द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद के समस्त प्रधानाचार्यों से पौधों का प्रजातिवार संख्यात्मक मांगपत्र प्राप्त कर, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जिला वन समिति के सम्मुख समेकित मांग पत्र प्रस्तुत किया जाय।

5– उपरोक्त कार्यों का सतत् अनुश्रवण/समन्वय करने हेतु शासन स्तर पर श्री कृपाशंकर यादव, उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन मो0–9454413887 तथा निदेशालय स्तर पर श्रीमती मंजु शर्मा, अपर शिक्षा निदेशक (व्या0शि0 शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशालय(मा0), उ0प्र0 लखनऊ मो0–9412060649 को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिन्हें द्वारा सूचना संकलित कर पाक्षिक रूप से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार शैक्षणिक संस्थानों में ससमय वृक्षारोपण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन।

भवदीया

(आराधना शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव,
माध्यमिक शिक्षा विभाग।

संख्या– /15–3–2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
8. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5,उत्तर प्रदेश, शासन।
9. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0 को उक्तानुसार शोभाकार तथा फलदार वृक्ष प्रजाति के पौधों प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शम्भु कुमार)
विशेष सचिव,